निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 22/2022 (रसद अपील)

मैसर्स सुभाष चौधरी, प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत आष्टीकलां II, (बागड़ो का बास), तहसील चौमू, जिला जयपुर जरिये मालिक फर्म सुभाष चौधरी।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व निर्णय/आदेश दिनांक 06.06.2017 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 01.08.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 06.06.2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी मैसर्स सुभाष चौधरी, प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत आष्टीकलां II, (बागड़ो का बास), तहसील चौमू, जिला जयपुर को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद् पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 196/2012 मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 व प्राधिकार पत्र की शर्तो तथा निर्बन्धनों एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार के आदेशों व सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ जो उसे राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का विक्रय व वितरण यूनिट रजिस्टर तथा ई–सूची में दर्ज राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं

जिला कलक्टर
जयपुर

को डिजीटल राशनकार्ड या आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है।
अपीलार्थी द्वारा नियमित लेखे संधारित किये जाते है एवं विवरणियों को नियमित रूप से सक्षम
अधिकारियों के यहां प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 03.12.2015 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला
रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि डीलर द्वारा माह नवम्बर 2015
की आवंटित राशन सामग्री थोक विक्रेता से नहीं उठाई है, जिसके कारण उक्त ग्राम पंचायत के
उपभोक्ता राशन सामग्री, केरोसीन से वंचित रहे है। डीलर द्वारा स्वेच्छा से राशन सामग्री का
वितरण कार्य बंद कर दिया है। दिनांक 04.12.2015 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने
अपीलार्थी को बिना सुने एकतरफा आदेश दिनांक 04.12.2015 द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र
अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर एक नोटिस जारी किया जिसमें माह नवम्बर 2015 की आवंटित
राशन सामग्री का थोक विक्रेता से नहीं उठाने एवं स्वेच्छा से राशन सामग्री का वितरण कार्य बंद
किया जाना बताया। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 22.03.2022 तक
अपीलार्थी को यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई कि उकत प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई।
दिनांक 22.03.2022 को पत्रावली देखने से ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र
निरस्तीकरण व धरोहर राशि जब्त करने का एकतरफा निर्णय दिनांक 06.06.2017 को पारित कर
दिया है, परन्तु उक्त निरस्तीकरण का आदेश आदिनांक तक अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाया
है, जबकि आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 के अन्तर्गत जारी आदेश, निर्णय की प्रति अपीलार्थी को
दिये जाने का प्रावधान है ताकि अपीलार्थी उक्त आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के अन्दर अपील
प्रस्तुत कर सके। इसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2015 S.C. State of West Bengal and
others V/s R.K.B.K Ltd and other में किया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपीलार्थी
को बिना सुने अपने निर्णय दिनांक 06.06.2017 व आदेश दिनांक 07.06.2017 द्वारा अपीलार्थी
सुभाष चौधरी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत आष्टीकलां II. (बागडो का बास), तहसील
चौमू का राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के
खण्ड 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुये एकतरफा आदेश
पारित किया है। अपीलार्थी को बिना सुने अथवा अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर दिये
बिना केवल प्रवर्तन निरीक्षक व क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड चौमू की रिपोर्ट को सत्य
मानते हुये जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया है जो विधि
विधान के प्रावधानों के विरूद्ध है एवं संविधान के अनुच्छेद 21 व 14 के विपरीत है। प्रावधान यह
है कि बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना किसी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित नहीं
किया जा सकता है और इस प्रकार का आदेश अवैध है। अपीलार्थी की तबीयत अत्यन्त खराब
होने के कारण राजकीय चिकित्सक द्वारा उन्हे पूर्ण आराम करने की सलाह दिये जाने के कारण
अपीलार्थी द्वारा कुछ समय का अवकाश प्रदान करने हेतु जिला रसद अधिकारी को प्रार्थना पत्र
प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा अपना ईलाज राजकीय चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र
खेजरोली जयपुर से करवाया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने राजस्थान खाद्यान्न एवं
अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 का बिना अवलोकन किये
तथा बिना विचारण किये निर्णय दिनांक 06.06.2017 पारित किया है। जबकि यह स्पष्ट प्रावधान
व निर्देश है कि "इस आदेश के अधीन रद्दकरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जावेगा
जब तक कि प्राधिकार पत्र धारक को प्रस्तावित रद्दकरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने का एक

जिला कलक्टर
जयपुर

युक्तियुक्त अवसर प्रदान ना कर दिया गया है।" प्राधिकारधारक को बिना सुने उक्त निर्णय व आदेश पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस संख्या जि.र.अ.ज. II/विधि/142/2015/1711 दिनांक 09.05.2016 में अपीलार्थी को दिनांक 04.07.2016 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया था। अपीलार्थी दिनांक 04.07.2016 को कार्यालय में उपस्थित हुआ। पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने/अवकाश पर होने के कारण अपीलार्थी का जवाब नहीं लिया गया तथा आगामी तारीख पेशी हेतु पुनः नोटिस जारी कर दिया जावे का कथन किया गया। अपीलार्थी को आगामी तारीख पेशी की सूचना बाबत आदिनांक तक कोई नोटिस नही मिला। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा दिनांक 04.07.2016, 03.04.2017 व 06.06.2017 को अनुपस्थित मानकर अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा निर्णय दिनांक 06.06.2017 को पारित कर दिया जबकि दिनांक 04.07.2016, 05.09.2016 व 11.05.2017 को पीठासीन अधिकारी स्वयं अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने/अवकाश पर होने के तथा दिनांक 03.04.2017 को अपीलार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया था। उक्त रजिस्टर्ड नोटिस अपीलार्थी को आज दिनांक तक नहीं मिला है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने प्रवर्तन अधिकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड चौमू की रिपोर्ट को सही मानते हुये अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 04.12.2015 को निलम्बित कर दिया। अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसी कोई अनियमितता नहीं बतलाई गई है जिससे कि उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने जैसा दण्ड पारित किया जावे। प्रवर्तन अधिकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनके द्वारा ना तो कोई मौके पर आकर कोई जांच की,ना ही अपीलार्थी व उपभोक्ताओं से कोई पुछताछ की, ना ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान लिये। कार्यालय में बैठकर मनमानी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया जाना किसी प्रकार से साबित नही होता है। केवल मात्र प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को केवल मात्र साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की जमाखोरी, मिलावट की कोई शिकायत नहीं है ना ही किसी राशनकार्डधारी उपभोक्ता की शिकायत है। प्राधिकारधारक के बीमार होने पर उसकी दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई हो और उपभोक्ताओं को राशन सामग्री प्राप्त करने के संबंध में की गई दुकान में कोई कठिनाई नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारधारक अवकाश प्राप्त कर सकता है। जिसके संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट 2010 (1) एआरसी कमला प्रसाद पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य पैरा 4 में वर्णित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आपेक्षित निर्णय व आदेश दिनांक 06.06.2017 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जावे तथा प्राधिकार पत्र कार्यवाही करने की स्वीकृति फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की डीलर द्वारा माह नवम्बर 2015 में स्वेच्छा से राशन वितरण का कार्य बन्द कर दिया था इसके पश्चात डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था। डीलर को दिनांक 09.05.2016 को नोटिस जारी किया गया था जो उसे स्वयं को तामील होने के बाद रिपोर्ट 21.06.2016 को प्राप्त हुई इसके बावजूद भी 1 वर्ष 6 माह से भी अधिक समय व्यतीत होने के

जिला कलक्टर
जयपुर

बाद भी डीलर द्वारा दुबारा राशन वितरण करने के संबंध में ना तो जिला रसद कार्यालय में सम्पर्क किया ना ही निलम्बित प्राधिकार पत्र को बहाल करने हेतु निवेदन किया । इससे स्पष्ट है कि डीलर राशन सामग्री का वितरण नहीं करना चाहता है। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 9, 11 की अनियमितता करने का दोषी पाये जाने के कारण उसकी धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. प्रथम,अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार पर स्वेच्छा से राशन सामग्री का वितरण कार्य बन्द करने का आरोप है। अपीलार्थी का कथन है कि उसकी तबीयत अत्यन्त खराब होने के कारण राजकीय चिकित्सालय द्वारा पूर्ण आराम करने की सलाह दिये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा कुछ समय का अवकाश प्रदान करने हेतु जिला रसद अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। जिला रसद अधिकारी की पत्रावली में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं पाया गया है और न ही दौराने सुनवाई अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में बतौर पुष्टि ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 2.04.2017 एवं दिनांक 20.06.2018 को प्रार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र को निलम्बित हुये 90 दिवस से अधिक समय हो जाने से प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का प्रार्थना पत्र जरूर जिला रसद अधिकारी को प्रंस्तुत किया गया है। इसलिए प्रार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि उसने जिला रसद अधिकारी को अवकाश प्रदान करने के लिए सूचना दी है। द्वितीय, अपीलार्थी का कथन है कि उसे बिना सुने एक तरफा आदेश पारत किया गया है। जबकि जिला रसद अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अपीलार्थी को कमांक 4750 दिनांक 04.12.2015, कमांक 532 दिनांक 08.02.2016, कमांक 1100 दिनांक 16.03.2016, कमांक 1711 दिनांक 09.05.2016, .कमांक 5273 दिनांक 07.04.2017 एवं कमांक 4750 दिनांक 4.12.2015 से कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है और कमांक 1711 दिनांक 02.05.2016 एवं कमांक 4750 दिनांक. 04.12.2015 पर अपीलार्थी के स्वयं के नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर मौजूद है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन माान्य नही है कि उसे सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया गया या सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के तर्को की पुष्टि नही होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

7. निर्णय की प्रति हस्ब दायात मय मिमसल मातहत के जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

8. निर्णय आज दिनांक **01.08.2022** को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर